(36)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

188 (आ0) 11/01/23

प्रेषक,

मुकेश कुमार,
संयुक्त सचिव (प्रभार विभाग)।
[illegible]

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा0उ0प0 सहित),
प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य पथ विकास निगम लि0
सभी अधीक्षण अभियंता (रा0उ0प0 सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (रा0उ0प0 सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :– प्राक्कलन निर्माण हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में।

प्रसंग :– 1. विभागीय पत्र संख्या -3089 (S) दिनांक 17.04.2018
2. कार्यालय आदेश सं0–3089 सहपठित ज्ञापांक–41, दिनांक [illegible]

महाशय,

प्रासंगिक पत्रों से निर्गत दिशा–निर्देश के संदर्भ में यह देखा गया [illegible] अधिकांश प्रमंडलों द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन प्राक्कलन के गठन में [illegible] जा रहा है। परिणामतः योजना के क्रियान्वयन के दौरान प्राक्कलन के प्रावधानों [illegible] प्रकार के विचलनों से संबंधित प्रस्ताव मुख्यालय को प्राप्त हो रहे हैं। प्राक्कलन [illegible] के दौरान कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंताओं की अपेक्षित भागीदारी नहीं [illegible] स्थल की आवश्यकताओं के अनुरूप प्राक्कलन की बारीकियों से वे पूर्णतया [illegible] हो पाते हैं, जिससे निर्माण के समय विरोधाभाषीय स्थिति पैदा होने के मामले [illegible] आ रहे हैं। डी0पी0आर0 परामर्शी द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन का प्रमण्डल [illegible] स्थल के अनुरूप विधिवत जाँच नहीं होने से अक्सर प्राक्कलन में पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। सम्यक विचारोपरांत प्राक्कलन के गठन के संबंध में [illegible] निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में निम्न निर्देश दिये जाते हैं जो [illegible] प्रभावित होगा।

कर जाँच करवाना सुनिश्चित करेंगे। यह समिति स्थायी होगी जो अंचलों से प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्राक्कलन/प्रस्ताव के प्रावधानों की गहराई से समीक्षा एवं संतुष्ट करेगी।

2 किसी प्राक्कलन विशेष में यदि विशिष्ट प्रकृति के कार्य का प्रावधान किया जाता है तो उसके औचित्य की तकनीकी प्रतिवेदन में अवश्य प्रविष्टि होना चाहिए।

3 यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रत्येक कार्य का प्राक्कलन संबंधित पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता एवं अधीनस्थ अभियंताओं द्वारा स्थल भ्रमण के बाद ही गठन कर मुख्यालय भेजा जायगा। इस आशय का प्रमाण--पत्र प्राक्कलन पर अंकित होना चाहिए। इस आशय का प्रमाण--पत्र नहीं होने की स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति का प्रस्ताव मुख्यालय को नहीं भेजेंगे।

4. प्रतिवेदन में निम्नलिखित बिन्दुओं पर कंडिकावार सूचनाएँ अवश्य दर्ज होनी चाहिए :--

4.1. योजना का key--प्लान (Google Map की सहायता से) : इन्डेक्स मैप पर प्रस्तावित मार्गरेखन को लाल रंग से अंकित किया जाए।

4.2. पथ की विस्तृत विवरणी :--

4.2 (a) प्रारंभ बिन्दु तथा अन्त बिन्दु।

4.2 (b) पथ की लम्बाई।

4.2 (c) मुख्य--मुख्य स्थान, जहाँ से पथ गुजरता है।

4.2 (d) लम्बकाट एवं आड़ीकाट तथा भौगोलिक स्थिति।

4.2 (e) पथ के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।

4.3. Existing पथ के क्रस्ट की वर्त्तमान स्थिति।

4.4. Proposed Crust का Specification एवं existing Crust के साथ तुलनात्मक विवरणी।

4.5. Kilometre wise ROW का Table ।

विकसित की जाए ताकि भविष्य में किसी योजना की स्वीकृति के पूर्व उसका इतिहास (History) की जानकारी प्राप्त हो सके।

7. योजनाओं के पूर्ण होने के पश्चात, स्वीकृति प्रदत्त अवयवों तथा कार्यान्वित अवयवों के साथ तुलनात्मक विवरणी को भी Spread Sheet. में संधारित करने का प्रावधान की जाए।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

(मुकेश कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र०का०)
पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

(43)

प्रपत्र–'क'

For BRPNNL And BSRDCL

Sl No	Particulars	Values
1	Total Civil cost(A)	
2	Price Escalation on (A)	
3	Total(1+2)-'B'	
4	LWC @ 1% on 'B'	
5	Seignorage (Lumsum)	
6	Supervision charge* (excluding GST)	
7	Total (3+4+5+6)-'C'	
8	GST@18% on 'C'	
9	Centage @7% upto 10cr, 5% between 10 cr to 100 cr and 1% beyond 100 cr on B	
10	Land Aquisition	
11	Utility Shifting (Including GST)	
12	Road Safety Audit @21000/KM	
13	Agency charge on 'A' *	
	TOTAL 7+(8+9+10+11+12+13)	

* If Applicable